प्रकाशन हेतु अनुमोदित

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

<u>विविध अपील (प्रतिकर) क्रमांक 781/2007</u>

अपीलार्थीगण/ : सतवंतिन बाई और अन्य

आवेदकगण

बनाम

प्रत्यर्थीगण : विनोद कुमार यादव एवं अन्य

<u>विविध अपील (प्रतिकर) 955/2007</u>

अपीलार्थी : राकेश कुमार शर्मा

बनाम

प्रत्यर्थीगण : सतवंतिन बाई और अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>निर्णय हेतु विचारार्थ</u> **दिनांक 01/09/2001**

सही/-

दिनांक 01/09/2001

<u>माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव गुप्ता</u>

मैं सहमत हूँ

सही/-

मुख्य न्यायाधीश

<u>आदेश की घोषणा के लिए</u> **दिनांक 02/09/2001**

सही/-

एन.के. अग्रवाल

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

विविध अपील (प्रतिकर) क्रमांक 781 वर्ष 2007)

अपीलार्थीगण/ : 1. सतवंतिन बाई, उम्र लगभग 32 वर्ष, पति स्वर्गीय

आवेदकगण श्री संतोष साहू,

2. नवधेश कुमार, उम्र लगभग 16 वर्ष, पिता स्वर्गीय श्री संतोष साहू

3. कु. पूर्णिमा साहू, उम्र लगभग 10 वर्ष,पिता स्वर्गीय श्री संतोष साहू,

4. दीपक कुमार साहू, उम्र लगभग 03 वर्ष, पिता स्वर्गीय श्री संतोष साहू,

{अपीलार्थी क्रमांक 2 से 4 अवयस्क द्वारा माता (नैसर्गिक सरंक्षक) श्रीमती सतवंतिन बाई}

{सभी निवासी गाँव - सोनसरी, थाना - पामगढ़ जिला जांजगीर - चाम्पा (छ.ग.)}

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

प्रत्यर्थीगण/ अनावेदक : 1. विनोद कुमार यादव, पिता एल.आर. यादव, निवासी वार्ड नंबर 12, बैगरपारा, जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा, (छ.ग.)।

- दुर्घटनाकारित करने वाले गाड़ी का वाहन चालक ।

2. राकेश कुमार शर्मा, पिता गोकुलचंद्र शर्मा, मनियारी तालाब, स्टेशन रोड, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

- वाहन स्वामी ।

3. द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड शाखा,
बिलासपुर, बस स्टैंड के पास, राजीव प्लाजा
के सामने, बिलासपुर (C.G.)

— बीमाकर्ता कंपनी।

उपस्थित

अपीलार्थियों के लिए श्री अमृतो दास, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी क्रमांक 1 और 2 के लिए श्री सुशोभित सिंह, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी क्रमांक 3 के लिए श्री दशरथ गुप्ता, अधिवक्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विविध अपील (प्रतिकर) क्रमांक 781 वर्ष 2007)

अपीलार्थी : 1. राकेश कुमार शर्मा, पिता गोकुलचंद्र शर्मा, उम्र

अनावेदक क्रमांक 2 लगभग 37 वर्ष, निवासी - मनियारी तालाब, स्टेशन रोड, जांजगीर, थाना-जांजगीर, जांजगीर-चांपा(छ.ग.)
- वाहन स्वामी ।

बनाम

प्रत्यर्थीगण : 1. सतवंतिन बाई, बेवा स्वर्गीय श्री संतोष साहू, उम्र

दावेदार क्रमांक 1 से 4और लगभग 32 वर्ष,

अनावेदक क्रमांक 1 और 3 2. नवधेश कुमार, पिता स्वर्गीय श्री संतोष साहू, उम्र लगभग 16 वर्ष,

3. कु. पूर्णिमा साहू, पिता स्वर्गीय श्री संतोष साहू, उम्र लगभग 10 वर्ष,

4. दीपक कुमार साहू, पिता स्वर्गीय श्री संतोष साहू, उम्र लगभग 03 वर्ष,

{अपीलार्थी क्रमांक 2 से 4 अवयस्क द्वारा माता
(नैसर्गिक सरंक्षक) श्रीमती सतवंतिन बाई हैं}

{सभी निवासी गाँव - सोनसरी, थाना - पामगढ़
जिला जांजगीर - चाम्पा (छ.ग.)}

(दावेदार/आवेदक क्रमांक 1 से 4)

5. विनोद कुमार यादव, पिता एल.आर. यादव,
निवासी वार्ड नंबर 12, बैगरपारा, जांजगीर,
जिला जांजगीर-चांपा, (छ.ग.)।

- दुर्घटनाकारित करने वाले गाड़ी का वाहन चालक
/अनावेदक क्रमांक 1।

6. न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, शाखा
बिलासपुर बस स्टैंड के पास, राजीव प्लाजा के
पीछे, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

— बीमाकर्ता कंपनी/अनावेदक क्रमांक 3।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित

अपीलार्थियों के लिए श्री सुशोभित सिंह, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी क्रमांक 1 और 4 के लिए श्री अमृतो दास, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी क्रमांक 6 के अधिवक्ता श्री दीपक गुप्ता की ओर से, श्री अखिलेश कुमार, अधिवक्ता,

---

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 173 के अंतर्गत अपील

कोरम : **माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधीश एवं**

माननीय श्री एन.के. अग्रवाल, न्यायाधीश

आदेश

(दिनांक 02-09-2011 को पारित)

एन.के. अग्रवाल, न्यायाधीश द्वारा

1. प्रथम अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बिलासपुर (संक्षेप में 'अधिनियम') के द्वारा दिनांक 03.05.2007 को दावा प्रकरण क्रमांक 117/2006 में अधिनिर्णीत प्रतिकर में वृद्धि की मांग करते हुए अपीलकर्ताओं/दावेदारों द्वारा विविध अपील (प्रतिकर) क्रमांक 781/2007 प्रस्तुत की गई है, जबकि अपीलकर्ता/अपघाती वाहन के स्वामी द्वारा विविध अपील (प्रतिकर) क्रमांक 955/2007 प्रस्तुत की गई है, जिसमें उपरोक्त निर्णय में उस पर लगाए गए प्रतिकर के भुगतान के लिए उसकी देयता को चुनौती दी गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. दोनों अपीलें दावा अधिकरण द्वारा पारित एक ही अधिनिर्णय के खिलाफ दायर की गई थीं, इसलिए दोनों अपीलों का निराकरण इस एक ही आदेश द्वारा किया जा रहा है।

3. मृतक संतोष कुमार साहू की विधवा और अवयस्क बच्चों ने मोटर यान अधिनियम, 1988 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 166 के तहत आवेदन दायर करके 20 मार्च 2006 को मोटर दुर्घटना में उनकी मृत्यु के लिए 13,80,000/- रुपये के प्रतिकर का दावा किया था, विद्वान अधिकरण ने आवेदन की तारीख से उसके वास्तविक भुगतान तक 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ कुल 3,63,000 रुपये का प्रतिकर देने का आदेश दिया है, जो कि पंजीयन क्रमांक सी.जी. 11/ए-5038 वाली अपघाती वाहन के स्वामी और चालक के खिलाफ है, और न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को दावेदारों को प्रतिकर का भुगतान करने के अपने दायित्व से मुक्त कर दिया है।

4. माननीय अधिकरण ने साक्ष्यों की सूक्ष्म मूल्यांकन करने के बाद विनोद कुमार यादव, अर्थात अपघाती वाहन जिसका पंजीयन क्रमांक क्रमांक सी.जी.11/ए-5308 के चालक को उत्तरदायी ठहराया; चूंकि दुर्घटना के समय वाहन पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन करते हुए चलाया जा रहा था, इसलिए बीमा कंपनी प्रतिकर के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं है; अधिकरण ने उक्त राशि 3,63,000/- रुपये प्रतिकर के रूप में दावेदारों के पक्ष में वाहन के स्वामी और चालक के विरुद्ध अधिनिर्णीत किया, साथ ही दावा

आवेदन दाखिल करने की तिथि से वास्तविक भुगतान तक 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज भी देने का आदेश दिया।

5. विविध अपील (प्रतिकर) क्रमांक 781/2007 में अपीलकर्ताओं/दावेदारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अमृतो दास ने जोरदार तर्क प्रस्तुत किया कि माननीय अधिकरण मृतक की मासिक आय 2500/- रुपये निर्धारित करने और प्रतिकर की कम राशि प्रदान करने में त्रुटि की है।

6. विविध अपील (प्रतिकर) क्रमांक 955/2007 में अपीलकर्ता/स्वामी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सुशोभित सिंह ने तर्क प्रस्तुत किया कि माननीय अधिकरण ने प्रत्यर्थी/न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को प्रतिकर के भुगतान के दायित्व से मुक्त करने और प्रतिकर के भुगतान का दायित्व अपीलकर्ता/स्वामी और प्रत्यर्थी क्रमांक 5 पर डालने में गलती की है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. इसके विपरीत, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की ओर से उपस्थित श्री दशरथ गुप्ता और श्री अखिलेश कुमार ने अधिनिर्णय का समर्थन करते हुए कहा कि इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, माननीय अधिकरण ने बीमा कंपनी को प्रतिकर का भुगतान करने के दायित्व से सही ढंग से मुक्त कर दिया है और यह अधिनिर्णय बरकरार रखा जाना चाहिए।

8. हमने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी, आक्षेपित निर्णय और अधिकरण के अभिलेखों का अध्ययन किया।

9. हम सर्वप्रथम अधिकरण द्वारा अधिनिर्णीत की गई प्रतिकर की राशि की पर्याप्तता या अपर्याप्तता की जांच करेंगे।।

10. यह सच है कि दावेदारों ने अभिवचन किया है कि मृतक संतोष कुमार साहू डबल रोटी बेचकर और कृषि से प्रति माह 4500 रुपये कमाते थे, लेकिन मृतक की उपरोक्त आय को साबित करने के लिए अधिकरण के समक्ष कोई ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। साक्ष्यों के आलोक में हमें अधिवक्ता द्वारा मृतक की आय रु 2500 प्रति माह तथा रु 30000 प्रतिवर्ष निर्धारित किये जाने के आकलन में कोई त्रुटि नहीं दिखाई देता।

11. माननीय अधिकरण ने मृतक के व्यक्तिगत खर्चों के लिए आय का एक तिहाई भाग घटाने के बाद, दावेदारों की वार्षिक आश्रितता का सही आकलन 20,000/- रुपये किया। दावेदारों की वार्षिक आश्रितता को 16 के गुणक से गुणा करने पर, अधिकरण द्वारा निर्धारित प्रतिकर की राशि 3,20,000/- रुपये है। **सरला वर्मा (श्रीमती और अन्य बनाम दिल्ली परिवहन निगम और अन्य)** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने **(2009) 6 एससीसी 121** में 36 से 40 के आयु वर्ग के लिए 15 का गुणक निर्धारित किया है, और इसलिए, अधिकरण द्वारा चयनित 16 के गुणांक में कोई त्रुटि नहीं है। माननीय अधिकरण ने अन्य मदों पर 43,000/- रुपये, साहचर्य की हानि के लिए 20,000/- रुपये; प्रेम और स्नेह की हानि के लिए 10,000/- रुपये; संपदा की हानि के लिए 10,000/- रुपये और अंत्येष्टि खर्चों के लिए 3000/- रुपये) में से अतिरिक्त 20,000/- रुपये प्रदान किए हैं और इस प्रकार संतोष कुमार साहू की मृत्यु के लिए प्रतिकर के रूप में कुल 3,63,000/- रुपये की राशि प्रदान की है। उपर्युक्त प्रतिकर की राशि किसी भी तरह से अपर्याप्त नहीं कही जा सकती। इसलिए, हमारी राय में, माननीय अधिकरण ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उचित और न्यायसंगत प्रतिकर दिया है और दावेदारों की अपील में कोई दम नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. अब दूसरे प्रश्न पर आते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपघाती वाहन मालवाहक वाहन है। सतवंतिन बाई (गवाह 1) ने अपने साक्ष्य में स्वीकार किया कि अपघाती वाहन एक मालवाहक यान है और उनके पति (अब दिवंगत) दो अन्य व्यक्तियों के साथ उक्त वाहन में बैठे थे। मृतक कर्मचारी नहीं थे और निश्चित रूप से निःशुल्क यात्री के रूप में वाहन में बैठे थे।

13. यह सुव्यवस्थित विधि है कि मोटर यान अधिनियम के प्रावधानों के तहत वाहन के स्वामी पर मालवाहक वाहन में यात्रा करने वाले किसी भी यात्री के लिए अपने वाहन का बीमा कराने का कोई सांविधिक दायित्व नहीं है और बीमाकर्ता इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा। हालांकि, यदि कोई वाहन स्वामी अन्य जोखिमों से खुद को सुरक्षित रखना चाहता है, तो बीमा अनुबंध करना अनुमेय है, ऐसी स्थिति में बीमाकर्ता अनुबंध की शर्तों के अनुसार वाहन स्वामी को भुगतान करने के लिए बाध्य होगा। जो बीमा अनुबंध सांविधिक प्रकृति का नहीं है, उसे अन्य अनुबंधों की तरह ही समझा जाना चाहिए।

14. हमने बीमा अनुबंध की शर्तों पर गौर किया है। इस मामले में जारी की गई पॉलिसी मालवाहक वाणिज्यिक वाहन (खुली) पैकेज पॉलिसी है, जो तीसरे पक्ष और एक कर्मचारी के जोखिम को शामिल करती है। 100/- रुपये का अतिरिक्त प्रीमियम लेकर, स्वामी-सह-चालक के जोखिम को भी 2,00,000/- रुपये तक शामिल किया गया है। मृतक दुर्घटनाग्रस्त यान में यात्री के रूप में बैठा था। बीमा अनुबंध में प्रश्नगत यान में बैठे यात्री के जोखिम को शामिल नहीं किया गया था।

15. दुर्घटनाग्रस्त मालवाहक वाहन में बैठे और यात्रा कर रहे नि:शुल्क/सशुल्क यात्री के जोखिम को शामिल करने वाले किसी अनुबंध के अभाव में, बीमा कंपनी मृतक संतोष कुमार साहू की मृत्यु के लिए दावेदारों को प्रतिकर देने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराई जा सकती, जो मालवाहक वाणिज्यिक यान में नि:शुल्क यात्री के रूप में बैठे और यात्रा कर रहे थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. ऊपर उल्लिखित कारणों से, उपर्युक्त दोनों अपीलें गुणहीन और सारहीन होने के कारण खारिज किए जाने योग्य हैं और इन्हें एतद्द्वारा खारिज किया जाता है।

17. हालांकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जा रहा है ।

सही/-
मुख्य न्यायमूर्ति

सही/-
एन.के. अग्रवाल
न्यायाधीश

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**